



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243792
CG-DL-E-22022023-243792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944

No. 52]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

विषय : भारत के बाईसवें विधि आयोग की अवधि 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने के संबंध में।

फा.सं. ए-60011/225/2022-प्रशा. III (वि.का.)—आदेश संख्या एफ.सं. ए-45012/1/2018-प्रशासन III (वि.का.) दिनांक 21 फरवरी, 2020, के क्रम में भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं अर्थात्: -

- एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
- चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित);
- सचिव, विधि कार्य विभाग, पदेन सदस्य के रूप में;
- सचिव, विधायी विभाग, पदेन सदस्य के रूप में; और
- पांच अंशकालिक सदस्यों से अधिक नहीं।

2. भारत के बाईसवें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों (पूर्णकालिक और अंशकालिक) के कार्यकाल के 31 अगस्त, 2024 तक विस्तार को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मौजूदा निबंधन और शर्तों पर प्रदान की जाती है, अर्थात्, -

क्र.सं.	नाम	पदनाम	प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि	कार्यकाल निम्नलिखित तक बढ़ाया गया
(1)	न्यायमूर्ति श्री ऋतु राज अवस्थी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक	अध्यक्ष	09.11.2022	31.08.2024
(2)	न्यायमूर्ति श्री के.टी. शंकरन, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, केरल उच्च न्यायालय, केरल	पूर्णकालिक सदस्य	09.11.2022	31.08.2024
(3)	प्रो आनंद पालीवाल, शिक्षाविद, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	पूर्णकालिक सदस्य	10.11.2022	31.08.2024
(4)	प्रो. डी.पी. वर्मा, शिक्षाविद, पूर्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	पूर्णकालिक सदस्य	14.11.2022	31.08.2024
(5)	श्री एम. करुणानिथि, अधिवक्ता, मदुरै, तमिलनाडु	अंशकालिक सदस्य	09.11.2022	31.08.2024
(6)	प्रो. राका आर्य, शिक्षाविद, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश	अंशकालिक सदस्य	10.11.2022	31.08.2024

3. विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. भारत के बाईसवें विधि आयोग की विस्तारित अवधि के दौरान होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - लघु शीर्ष 00.105 - विशेष जांच आयोग - 01 - विधि आयोग, मांग संख्या 65 के तहत, विधि और न्याय मंत्रालय के नामे डाला जा सकता है, जहां तक चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का संबंध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के संबंध में, व्यय तदनुसार बजटीय अनुदानों से पूरा किया जाएगा जो संबंधित वर्षों के लिए संसद द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

5. इस पूर्वोक्त व्यय में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की उनके ओएम संख्या 3(44) ई.समन्वय/2018 दिनांक 16 फरवरी 2023 के तहत सहमति है और कैबिनेट की स्वीकृति, पत्र संख्या 7/CM/2023 दिनांक 22 फरवरी 2023 के तहत है।

डॉ. राजीव मणि, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

ORDER

New Delhi the 22nd February, 2023

Subject: Extension of the term of the Twenty-second Law Commission of India upto 31st August, 2024.

F. No. A-60011/225/2022-Admn. III (LA).—In continuation of the Order No. F. No. A-45012/1/2018-Admn. III (LA) dated the 21st February, 2020, the sanction of the President is hereby accorded for extension of the term of the Twenty-second Law Commission of India upto 31st August, 2024 consisting of the following, namely,-

- (i) a full-time Chairperson;
- (ii) four full-time Members (including Member-Secretary);
- (iii) Secretary, Department of Legal Affairs as *ex officio* Member;
- (iv) Secretary, Legislative Department as *ex officio* Member; and
- (v) not more than five part-time Members.

2. The sanction of the President is also accorded to the extension of tenure of the Chairperson and the Members (Full-time and Part-time) of the Twenty-second Law Commission of India, on the existing terms and conditions upto 31st August, 2024 namely,-

S.No	Name	Designation	Date of initial Appointment	Tenure extended upto
(1)	Mr. Justice Ritu Raj Awasthi Retired Chief Justice, Karnataka High Court, Karnataka	Chairperson	09.11.2022	31.08.2024
(2)	Mr. Justice K.T. Sankaran, Retired Judge, Kerala High Court, Kerala	Full-time Member	09.11.2022	31.08.2024
(3)	Prof. Anand Paliwal, Academician, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan	Full-time Member	10.11.2022	31.08.2024
(4)	Prof. D.P. Verma, Academician, formerly at Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh	Full-time Member	14.11.2022	31.08.2024
(5)	Shri M. Karunanithi, Advocate, Madurai, Tamil Nadu	Part-time Member	09.11.2022	31.08.2024
(6)	Prof. Raka Arya, Academician, National Law Institute University, Bhopal, Madhya Pradesh	Part-time Member	10.11.2022	31.08.2024

3. The Headquarters of the Law Commission shall be at New Delhi.

4. The expenditure involved during the extended term of the Twenty-second Law Commission of India is debitable to the Major Head 2070 – Other Administrative Services – Minor Head 00.105 – Special Commissions of Enquiry – 01 – Law Commission, under Demand No.65, Ministry of Law and Justice, in so far as the current financial year 2022-23 is concerned. As regards the financial years 2023-24 and 2024-25, the expenditure will be met from the corresponding Budgetary Grants that may be voted by the Parliament for the respective years.

5. This aforesaid expenditure has the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure), *vide* their OM No. 3(44)E.Coord./2018 dated 16th February, 2023 and the approval of the Cabinet, *vide* their communication No.7/CM/2023 dated 22nd February, 2023.

Dr. RAJIV MANI, Addl. Secy.